झारखण्ड सरकार

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰ / 16 / 19 – 17 ,राँची / दिनांकः 13 / 05 / 2019

सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी पद पर चयन के लिए Bridge Course Programme में नामांकन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा–2019 आयोजित करने से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना–

(Important Information Regarding Convening of Competitive Examination-2019 for Admission in Bridge Course Programme for Selection on the post of Community Health Officer)

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, राँची के पत्रांक 9 / RCH-100/2019–505 (MD) दिनांक 08.05.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि Bridge Course Programme अन्तर्गत विनिर्दिष्ट Health & Wellness Centre पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (अनारक्षित कोटि–245, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग–61, अनुसूचित जनजाति कोटि–157, अनुसूचित जाति कोटि–101, पिछड़ा वर्ग–I कोटि–49 एवं पिछड़ा वर्ग–II कोटि–47, कुल = 660) को नियुक्त किया जाना है। समिति द्वारा पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सफल प्रतियोगियों के चयन के निमित्त झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची द्वारा Online प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा में सफल एवं चयनित अभ्यर्थियों को Community Health में छः माह का Bridge Course Programme करना है। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त Course के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त ही झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए नियुक्त किये जायेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने के आधार पर संविदा का नवीकरण का भी प्रावधान होगा।

उपरोक्त के आलोक में उपयुक्त आवेदकों से, जो भारत के नागरिक होने के साथ–साथ झारखण्ड राज्य के स्थायी / स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं और निम्न कंडिका–2, 3 एवं 4 में अंकित शैक्षणिक, आयु–सीमा एवं जाति आधारित आरक्षण (यदि लागू हो तो) की योग्यता धारित करते हैं, उनसे विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–7 / आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27 / 2002 (खण्ड) का॰ – 3198, दिनांक 18.04.2016 में **स्थानीय निवासी** को परिभाषित किया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अधिसूचना की प्रति पर्षद के अधिकृत वेबसाइट http://jceceb.jharkhand. gov.in के Homepage पर Act & Circulars कॉलम में देखा जा सकता है। स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र का विहित प्रपत्र पर्षद के अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. **पदीय शैक्षणिक अर्हत्ता एवं वांछित अर्हत्ता :–**

Essential Eligibility Criteria:

i) General Nursing and Midwifery (GNM) RNRM from a recognized Institute/Bachelor of Science in Nursing from a recognized Institute/University.

OR

Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) from a recognized Institute/University.

ii) At least 2 years of relevant work experience in the Health sector.

Desirable Criteria:

i) Proficiency in Regional/Local language and Dialect.

ii) Work experience in the Public Health System, preferably at the Primary/Community Health Center level.

3. **आयु–सीमा** :– आयु–सीमा की गणना दिनांक 01.08.2019 को आधार मानकर किया जायेगा। विभिन्न कोटियों के आवेदकों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा निम्नवत है:–

क्रम सं0	कोटि	अधिकतम आयु (वर्षों में)	दिव्यांग आवेदकों के लिए अधिकतम आयु (वर्षों में)
1	अनारक्षित	35	40
2	पिछड़ा वर्ग-I / पिछड़ा वर्ग -II	37	42
3	महिला (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग-I/ पिछड़ा वर्ग –II)	38	43
4	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40	45

4. **जाति आधारित आरक्षण** – आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यार्थियों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी {झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त} द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत {झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त को छोड़कर} जाति प्रमाण–पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा (संदर्भ : का॰ प्र॰सु॰ तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 7 / आ0नि0–018–10 / 2003 का0 7072 दिनांक 30.12.2003) तथा उनका आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में मान्यता दी जायेगी।

अनुसूचित जनजाति कोटि के लिये निर्धारित सीटों में से न्यूनतम 2% सीटें आदिम जनजाति समूह के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है, बशर्त्ते कि वे आवश्यक न्यूनतम अर्हत्ता को पूरा करते हों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि की मेधा–सूची में स्वतः नहीं आते हों। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति कोटि के आरक्षण में क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, रॉंची के पत्रांक–14 / जा0नि0–03–13 / 2015 / का0–1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके आरक्षित सीटों का विनियमन नहीं किया जायेगा (संदर्भः का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का0–5886, दिनांक 21.09.2011)।

जाति प्रमाण–पत्र का विहित प्रपत्र पर्षद के अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण**– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, रॉची के ज्ञापांक–14/आ0नि0–04–03/2019 का0–1433 दिनांक 15.02.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप अनुसूची–I में विहित प्रपत्र में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/अनुमण्डल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता/सहायक दण्डाधिकारी एवं अंचल अधिकारी में से किसी एक प्राधिकार द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

6. **दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण** – निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) की धारा–34(i) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में संवर्ग बल के अधीन रिक्त पदों की कुल संख्या का 4 प्रतिशत पद दिव्यांग–जनों के लिए निम्नांकित रूप में आरक्षित किया जायेगा :–

	निःशक्तता का प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
(क)	अंधापन और कम दृष्टि	1
(ख)	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	1
(ग)	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, आम्लीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular dystrophy)	1
(घ)	स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या	1
(ङ.)	बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।	

7. **आवेदन पत्र की उपलब्धता** – आवेदक पर्षद के अधिकृत वेबसाईट के **Homepage Page** पर **"Admission in Bridge Course Programme– 2019 Online Application Form Submission"** बटन पर Click कर, दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक–15.05.2019 से दिनांक–12.06.2019 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते हैं।

8. **फोटोग्राफ** – ऑनलाईन आवेदन पत्र में हाल का खिंचाया हुआ रंगीन फोटोग्राफ, जिसमें चेहरे के साथ–साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, का ही scanned image, upload करना है। फोटोग्राफ संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

9. **परीक्षा तिथि** – उक्त परीक्षा दिनांक–22.06.2019 एवं 23.06.2019 को राँची जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्र/केन्द्रों पर Online आयोजित की जायेगी। आवेदकों को पर्षद के अधिकृत वेबसाईट से प्रवेश पत्र अध:भारित (Download) की सुविधा दिनांक–18.06.2019 से उपलब्ध करायी जायेगी एवं उसी दिन से Online परीक्षा के संबंध में जानकारी हेतु आवेदकों को यह सुविधा दी जायेगी कि वे पर्षद के अधिकृत बेवसाईट में उपलब्ध Link पर Mock Test Rehearsal कर सकते हैं।

10. **परीक्षा का स्तर एवं प्रकार** – परीक्षा का प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) एवं बहुविकल्प (Multiple choice) प्रकृति के होंगे जो आवेदकों द्वारा धारित शैक्षणिक अहर्त्ता एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। कुल 100 प्रश्न होंगे जो द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी एवं हिन्दी में होंगे। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प देने पर उन्हें अमान्य कर दिया जायेगा तथा इसकी गणना गलत उत्तर के अन्तर्गत की जायेगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

11. **मेधा–सूची** – परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों के आधार पर संयुक्त मेधा–सूची के साथ–साथ कोटिवार मेधा–सूची तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सर्वप्रथम General Nursing and Midwifery /Bachelor of Science in Nursing/ Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.) में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा यह भी स्थिति समान होने पर पहले जन्म तिथि वाले उम्मीदवार को मेधा–सूची में वरीयता दी जायेगी।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये न्यूनतम अर्हतांक का समान रूप से निर्धारण निर्गत संकल्प संख्या–15838 दिनांक 22.12.1990 एवं 10258 दिनांक 05.08.1991 द्वारा निम्नांकित रूप में किया गया है:–

अनारक्षित कोटि	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग–II कोटि	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग–I कोटि	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति कोटि/अनुसूचित जनजाति कोटि /सभी कोटि की महिला	32 प्रतिशत

12. **अन्य आवश्यक सूचनाएँ**– इस संबंध में यदि किसी आवेदक को विशेष जानकारी की आवश्यकता हो तो झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, नामकुम, राँची के कार्यालय/अधिकृत बेवसाइट http://jrhms.jharkhand.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

परीक्षा नियंत्रक के आदेश से,

13/05/2019

(रंजीता हेम्ब्रम झा.प्र.से.)
उप परीक्षा नियंत्रक